

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

—:: आदेश ::— कोड—(39 / 75207)

भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.

**क्रमांक— 1046 / 150/आउशि/सम्बद्धता/17 :** महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुभोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जानें के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक — 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।
3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :—

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	उमा देवी शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, ग्वालियर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	द भारती कालेज ग्वालियर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०एससी०-प्रथम-कम्प्युटर एप्लीकेशन गणित एवं रसायन पीजीडीसीए
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	निरंक
5	आदेश क्रमांक — 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	बैंक से भुगतान का प्रमाण नहीं है। कोड 28 में नियुक्ति संबंधी वि.वि. का पत्र नहीं है। निकटवर्ती क्षेत्र के कई महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत से कम प्रवेश है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	पत्र दिन 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने के करणों की समस्त पूर्तियां संस्था द्वारा कर दी गई है।

प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय			
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-प्रथम-कम्प्युटर एप्लीकेशन गणित एवं रसायन पीजीडीसीए नोट-कोड 28 में नियुक्ति करा कर विभिन्नों का पत्र दो माह में उपलब्ध करावे।	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—	


4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संस्था द्वारा ईपीएफ के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटोत्रा कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

 उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1047/150/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (मोप्र)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 4- कुल सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5- प्राचार्य, समस्त संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

 उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन,पॉचर्वीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

—:: आदेश ::—

भोपाल, दिनांक— 10/04/2017.

**क्रमांक— 105/161/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश क्षिविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल क्षिविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।**

2. जीवाजी क्षिविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक— 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा अमान्य किया गया है, के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

3. संस्थाओं से प्राप्त प्रथम 'रिव्यू' आवेदन—पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवेदकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में प्रकरणवार प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत नियमानुसार निर्णय लिया जाता है :—

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्रीराम राजा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट दत्तिया
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एस0आर0आई0 इंस्टी10 आफ एजु0 दत्तिया
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0ए0—प्रथम—राजनीति, हिन्दी समाज
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	निरंक
5	आदेश क्रमांक — 576-77/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पुथक भवन/स्टाफ की पूर्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेज अंग्रेजी महाविद्यालय से सत्यापित एवं निरीक्षित नहीं है। निकटक्षेत्र के कई महाविद्यालयों में 50 प्रतिशत से कम प्रवेश है।
6	प्रथम 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	नियमानुसार कमियों की पूर्ति की गई है।

7	<b>प्रथम 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय</b>		
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	बी०६०—प्रथम—राजनीति, हिन्दी समाज	
आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण—पत्र अनापत्ति प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	—निरंक—	


4. विश्वविद्यालय द्वारा मान्य पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान करने के पूर्व परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों की पूर्ति करायी जाय।

5. संरक्षा द्वारा ईपीएफ के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटोत्रा कर इस कायलय को अवगत कराया जाए।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्ते एवं नियम यथावत् रहेंगे।

**“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”**

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी


 उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- 1051/161/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 10/04/2017.  
प्रतिलिपि :-

- 1— प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2— क्षेत्रीय कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3— क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 4— कुल सचिव, जीवाजी क्षिविद्यालय, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- 5— प्राचार्य, समस्त संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6— संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

 उच्च शिक्षा, म.प्र.